UPAU010036582022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1,औरैया।

प्रकीर्ण वाद सं0.56/2022

नसीम खॉ बनाम उ0प्र0राज्य आदि

दिनांक–21.01.2023

आदेश

आवेदन 3ग पर आवेदक/अधिवक्ता तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना। इस आवेदन के द्वारा वादी ने यह प्रार्थना किया है कि सिविल प्रकीर्ण वाद सं0. 28/2020 नसीम खॉ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि ए.डी.जे./एफ.टी.सी.द्वितीय औरैया में चल रहा था, जिसमें दिनांक–05.09.2022 की तिथि नियत थी और यह वाद ए.डी.जे.प्रथम में अन्तरित हो गया, जिसकी कोई सूचना प्रार्थी/अधिवक्ता को नहीं दी गयी।

धारा–89ए. जनरल रूल सिविल के अनुसार पक्षकारों को या उनके अधिवक्ता को अन्तरण की सूचना होना चाहिए था। दिनांक–29.09.2022 को 11.00बजे प्रार्थी ए.डी.जे./एफ.टी.सी.द्वितीय औरैया में बैठा था, जहॉ पर कोई पुकार नहीं हुई, तो प्रस्तुतकार ने बताया कि उसका मुकदमा ए.डी.जे.प्रथम में अन्तरित हो गया है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने इस बिन्दु पर कोई प्रतिवाद नहीं किया है। अतः आवेदन स्वीकार करते हुए सिविल प्रकीर्ण वाद सं0. 28/2020 में पारित आदेश दिनांकित–29.09.2022 निरस्त किया जाता है और प्रकीर्ण सिविल वाद सं0.28/2020 नसीम खॉ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि अपने मूल नम्बर पर कायम किया जाता है।

दिनांक–21.01.2023

(पी.एन.श्रीवास्तव)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष सं01,औरैया।
J.O.Code No.UP- 5734

Digitally signed by Prakash Nath Srivastava
Date: 2023.01.21 16:21:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court